जा

I/239217/2024

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 (0135) -2713724 फोन नं0(0135) – 2713551

संख्या 3943 XXV–12(P-14)/2021 देहरादूनः दिनांक 11 सितम्बर, 2024

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र

सेवा में, पंजीकृत

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग
माधोसिंह भवन, यमुना कॉलौनी देहरादून।

विषय– सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक श्री उमेश मिश्रा, मण्डल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी देवाल जनपद चमोली का अनुरोध पत्र दिनांक 02.09.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 06.09.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 01 से 04 तक की सूचना चाही गई है। उक्त बिन्दुओं पर सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण आपको हस्तान्तरित की जा रही है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु करते हुए कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय
Signed by Basant Singh Rawat
Date: 11-09-2024 14:17:03

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0–9411740189

पृ0संख्या–3943 / XXV– 12(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपिः– श्री उमेश मिश्रा, मण्डल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी देवाल जनपद चमोली को उनके उक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी

6/9/2024 प्राप्त

IN-UK42029327080703W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK42029327080703W
Certificate Issued Date	:	02-Sep-2024 09:13 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1380004/ DEWAL/ UK-CM
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK138000491069136855163W
Purchased by	:	UMESH CHANDRA MISHRA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	UMESH CHANDRA MISHRA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	UMESH CHANDRA MISHRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

खड़क सिंह बिष्ट
लाईसन्स नं0-02/2023-2
स्टाम्प वैण्डर देवाल (चमोली)

Please write or type below this line

सेवा में,

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल 4 सुभाष रोड
सचिवालय परिसर देहरादून।

विषय– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं पर सूचना चाहने विषयक प्रार्थना पत्र।

P.T.O

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि दिनांक 11/02/2024 को मेरे एवं अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा सिंचाई खण्ड थराली जिला चमोली उत्तराखण्ड तैनात प्रभारी अधिशासी अभियंता श्री राज कुमार चौधरी के विगत नौ वर्षो तक थराली जिला चमोली में ही तैनात रहने के संबंध में एक शिकायती पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को दिया था जिस पर 14 फरवरी 2024 को श्री किशन सिंह नेगी उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून ने प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को आवशयक कार्यवाही के निर्देश दिये थे। जिस पर एक माह तक कार्यवाही ने होने पर मेरे द्वारा 14 मार्च 2024 को पुनः आपको (मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार) को पत्र भेजा गया था जिसके बावजूद भी उपरोक्त प्रभारी अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण नही हुआ। मैं उक्त संबंध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ।

01— कि किन नियमों के तहत नौ वर्षो बाद भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने पर शिकायत के बावजूद स्थानांतरण नही किया गया। नियमों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट कीजिएगा।

02— उपरोक्त प्रभारी अधिशासी अभियंता का नौ वर्षो बाद भ्ज्ञी स्थानांतरण नही किया गया उनके समर्थन में दिये गये पत्रों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट कीजिएगा।

03— उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून के 14 फरवरी 2024 को प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा प्रभारी अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण किस आधार पर नही किया गया उन पत्रों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट कीजिएगा।

04— मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिये गये शिकायती पत्रों पर की गयी कार्यवाहियों से संबंधित पत्रों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट कीजिएगा।

अतः निदन है कि उपरोक्त चार बिन्दुओं पर मुझे सु–स्पष्ट एवं सत्यापित छायाप्रति सूचना अधिकार अधिनियम के तहत समयबद्ध उपलब्ध कराने का कष्ट कीजिएगा। मै छायाप्रतियों की तय धनराशि जमा करने को तैयार हूँ। मैं सूचना 10रू0 मूल्य के किमती स्टाम्प पर मांग रहा हूँ।

दिनांक— 02/09/2024

प्रार्थी—

मो0— 8755035437

उमेश मिश्रा
मण्डल अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी देवाल

संलग्न—

01— 11 फरवरी 2024 को आयोग को भेजे गये पत्र की छायाप्रति।
02— 14 फरवरी 2024 को उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून के द्वारा प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को भेजे गये पत्र की छायाप्रति।
03— 14 मार्च 2024 को पुनः आयोग को भेजे गये पत्र की छायाप्रति।
04— श्री राहुल शर्मा, प्रधान सचिव एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के दिनांक 21 अगस्त 2024 के पत्र की छायाप्रति

प्राप्त
6/9/24

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार

निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली।

विषय– **सिंचई खंड थराली जिला चमोली उत्तराखण्ड में तैनात प्रभारी अधिशासी अभियंता के द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों को प्रीभवित करने की आशंका विषयक।** प्रभावित

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि सिंचाई खंड थराली (जिला चमोली) में श्री राज कुमार चौधरी पिछले नौ वर्षो से सहायक अभियंता एवं वर्तमान में प्रभारी अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात है। व पूर्व में चुनावों में आरो (R के पद पर भी तैनात रह चुके है। विगत 2017 में हुऐ नगर निकाय चुनाव, 20219 में राज्य में हुऐ त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इनके द्वारा प्रत्याक्षी विशेष के लिए कार्य किया जाता रहा हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में हुऐ विधानसभा चुनावों में भी उक्त अधिकारी द्वारा चुनाव को प्रभावित करने का पूरा– पूरा प्रयास किया गया नौ वर्षो के लंबे अन्तराल में एक ही स्थान में तैनात होने के चलते आशंका है कि उक्त अधिकारी के द्वारा आशन्न लोक सभा चुनावों को भी प्रभावित कर सकते है।

अतः महोदय से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से प्रभारी अभियंता को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिये जाय ताकि लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न किया जा सके।

दिनांक– 11-2-2024

भवदीय
ग्राम प्रधान
पी देवाल
चमोली

(उमेश मिश्रा)
Mob 8755035437

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन अधिकारी योजना भवन प्रथम तल सचिवालय देहरादून।

मण्डल अध्यक्ष
अनुसूचित मोर्चा
भा0ज0पा0 देवाल

विधायक प्रतिनिधि
वि0स्था0–देवाल(चमोली)

जानकी

मण्डल अध्यक्ष
मण्डल देवाल

मंडल अध्यक्ष
भारतीय जनता युवा मोर्चा
देवाल (चमोली)

नन्दू बहुगुणा
अध्यक्ष, भा0 ज0 पार्टी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001
email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 653 / XXV-06/2024 देहरादून दिनांक 14 फरवरी, 2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **सिंचाई खण्ड थराली जिला चमोली उत्तराखण्ड में तैनात अधिशासी अभियन्ता के द्वारा आगामी लोक सभा चुनावों को प्रभावित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया श्री उमेश मिश्रा, मण्डल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, देवाल, चमोली व अन्य के शिकायती पत्र दिनांक 11.02.2024(प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो भारत निर्वाचन आयोग को सम्बोधित व इस कार्यालय को पृष्ठांकित है। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री राज कुमार चौधरी, विगत 09 वर्ष से सिंचाई खण्ड थराली में कार्यरत हैं, तथा वर्तमान में प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के पद तैनात है। आवेदकगण द्वारा श्री चौधरी के लम्बे समय से सिंचाई खण्ड थराली चमोली में कार्यरत रहने पर उनके द्वारा आगामी लोक सभा चुनावों को प्रभावित करने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। शिकायतकर्तागण द्वारा श्री राज कुमार चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड चमोली को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में जैसा कि आप अवगत है कि, आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के सम्पादनार्थ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 34 दिनांक 03 जनवरी, 2024 में निर्वाचन से सीधे जुडे अधिकारियों के स्थानान्तण/तैनाती आदि के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के क्रम में श्री उमेश मिश्रा, मण्डल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, देवाल चमोली व अन्य के पत्र दिनांक 11.02.2024 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे निवेदन सहित यह कहने के निदेश हुआ है कि कृपया शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की नियमानुसार जांच कराकर आयोग के उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

(किशन सिंह नेगी)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि– श्री उमेश मिश्रा, मण्डल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, देवाल चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सेवा में

मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय
भारत सरकार, निर्वाचन सदन अशोक रोड- नई दिल्ली।

विषय:- सिंचाई खण्ड थराली में (जिला- चमोली) उत्तराखण्ड में तैनात अधिशासी अभियन्ता के द्वारा लोक सभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित शिकायती पत्र पर आज तिथि तक अपेक्षित कार्यवाही न होने विषयक-

महोदय,

उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि मेरे द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आपको सम्बोधित एक शिकायती पत्र सिंचाई खण्ड थराली, जनपद चमोली उत्तराखण्ड में पिछले 9 वर्षों से तैनात प्रभारी अधिशासी अभियन्ता श्री राजकुमार चौधरी के द्वारा आगामी लोक सभा चुनावों को प्रभावित करने की शिकायत की गयी जिस पर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड श्री किशन सिंह नेगी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को पत्रांक सं0-653/XXV-06/2024 देहरादून के द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर विभाग द्वारा आज तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है,

अतः निष्पक्ष चुनावों के लिये श्री राजकुमार चौधरी को भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। शीघ्र उचित कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट कीजियेगा।

प्रतिलिपि:- 1- मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून।

संलग्न:- दिनांक 11-2-2024 के पत्र की छायाप्रति।
(2) उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के द्वारा दिनांक 14-02-2024 के पत्र की छायाप्रति।

दिनांक:- 14-03-2024

भवदीय
[signature]
उमेश मिश्रा

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

सं0-4/आर0टी0आई0/भा0नि0आ0/10/उत्तरा0/ 2024/ उ0अनु0-2/2614 **दिनांक- 21 अगस्त, 2024**

सेवा में,

श्री उमेश मिश्रा,
मण्डल अध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी,
पो0-देवाल, चमोली,
उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने आवेदन दिनांक 08.08.2024 का पत्र जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को दिनांक 16.08.2024 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके शिकायती पत्र दिनांक 11.02.2024 एवं 14.03.2024 को आयोग के पत्र सं0 39/भा0नि0आ0/क्षे0/पत्र/उत्तरा0/2024/उ0अनु0-2/(ट्रांसफर/पोस्टींग)/खण्ड-1/6372, दिनांक 29.02.2024 एवं 437/भा0नि0आ0/उत्तरा0/2024/उ0अनु0-2/(ट्रांसफर/पोस्टींग)/खण्ड-2/12249, दिनांक 28.03.2024 द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को उचित कार्यवाई के लिए भेज दिया गया है। (प्रतियां संलग्न)। इस संबंध में आगे की गई कार्रवाई की सूचना आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

यदि आप केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रधान की गई सूचना से असंतुष्ट हैं तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर आयोग में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण इस प्रकार है:-

श्री टी0सी0 कोम,
प्रधान सचिव व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वचान सदन, अशोक रोड़,
नई दिल्ली- 110001
फोन नं0-011-23488502.
ई-मेल-tckom@eci.gov.in

भवदीय,

(राहुल शर्मा)
प्रधान सचिव एंव
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

आर0टी0आई0 अनुभाग को उनकी डायरी संख्या 880, दिनांक 16.08.2024 के संदर्भ में।